FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0228 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/08/2026 13:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 08/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:42 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/08/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/08/2026 13:25:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA SURATGARH CITY, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KALURAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	5 GB JAITSAR, SHRIVIJAYNAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	5 GB JAITSAR, SHRIVIJAYNAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHAVEER SINGH		पिता:ASHU SINGH	1. GODHUWALI DHANI,SADULSHAHAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	RAGHUVEER NAYAK		पिता:MAHIRAM	1. JANKIDASWALA,SURATGARH, GANGA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		90,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 90,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 27.12.2025 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी सुनील कुमार पुत्र श्री कालूराम जाति-नायक, उम्र-31 वर्ष निवासी 5 जीबी बी जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर व श्री हेमराज नायक पुत्र श्री बीरबलराम जाति-नायक, उम्र-49 वर्ष निवासी 5 जीबी बी जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ने ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी सुनील कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी सुनील कुमार ने प्रार्थना पत्र अपने स्ंवय द्वारा लिखा होना व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मेरा भाई नरेश कुमार सूरतगढ़ के त्रिमूर्ति रोड पर नाई की दुकान चलाता है और वार्ड नं. 04 सूरतगढ़ में मकान किराये पर लेकर रहता है। वार्ड नं. 04 सूतरगढ़ निवासी रजनी पुत्री बंटी लोहरा और मेरा भाई नरेश एक दूसरे के सम्पर्क में आये और दिनांक 12.12.2025 को किसी अज्ञात स्थान पर चले गये। इसके बाद रजनी पुत्री बंटी लोहरा के घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में दर्ज करवायी जिसकी जांच हैड़ कान्सटेबल महावीर प्रसाद के द्वारा की जा रही है। दिनांक 14.12.2025 को महावीर प्रसाद हैडकानिस्टेबल का फोन आया और कहा तेरे भाई को हमने थाने में पकड़ रखा है। नाबालिग लड़की का मामला है और जब शाम को घर पर पहुंचा तो उसे छोड़ दिया तब भाई से सम्पर्क करने कि कोशिश की गई तो फोन नही मिला। कुछ समय बाद नरेश कुमार से मैने पूछताछ कि तो पता लगा कि महावीर प्रसाद ने 40000/-रूपये लिये। रघुवीर नायक नाम के व्यक्ति ने दिनांक 26.12.2025 को मुझे फोन किया और दिनांक 27.12.2025 को सुबह 10 बजे सिटी थाना सूरतगढ़ में मिलने को कहा। आज दिनांक 27.12.2025 को जब में सिटी थाना सूरतगढ़ में गया तो वहां पर महावीर प्रसाद व रघुवीर नायक ने मामला रफा दफा करने के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत की व्यवस्था करके लाने को कहा और कहा कि पोक्सो एक्ट नहीं लगने दूंगा और थाने से रिहा करवा दूंगा। हमारे जायज काम के लिए श्री महावीर प्रसाद व रघुवीर नायक को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूं व रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं व मेरी महावीर प्रसाद व रघुवीर नायक से कोई रंजिश व उधार लेन देन नही है मैं उपरोक्त बात सुनकर उन्हे हॉ बोलकर आपके पास उपस्थित आया हूं उपरोक्त गैर कानूनी (भ्रष्टकृत) को रोकने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही कर अनुग्रहित करें। परिवादी सुनील कुमार ने श्री हेमराज नायक के बारे में बताया कि ये हमारे गावं के वरिष्ठ व्यक्ति है व रिश्ते में मेरे चाचा लगते है इसकारण इन्हे साथ लाया हूं, श्री हेमराज नायक ने परिवादी के तथ्यों की ताईद की। दरियाफत पुलिस व परिवादी श्री सुनील कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार को गोपनीय सत्यापन हेतु कहा गया तो उसने अपनी स्वीकृति दी और कहा की श्री महावीर प्रसाद हैड कानिस्टेबल व रघुवीर नायक मेरे अकेले से ही बात करते है और मैं अकेला ही जाकर उनसे वार्ता कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाउंगा जिस पर परिवादी सुनील कुमार को कार्यालय के डिजीटेल टेप रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि समझाई गई तथा ब्युरो के रामजस कानि0 109 से आपसी परिचय करवाया गया। जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री सुनील कुमार, श्री हेमराज नायक व श्री रामजस कानि. व को पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के लिए रवाना किया। समय 11.45 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं व परिवादी श्री सुनील कुमार, श्री हेमराज नायक ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सूरतगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के पास पहुंचें, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर महावीर प्रसाद हैड़ कानि. व रघुवीर नायक से संपर्क करने हेतु पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी की तरफ रवाना किया मै व हेमराज नायक गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गये थे, एक-सवा घंण्टे बाद परिवादी वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी ने बताया कि जब पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में गया तो तब मैने महावीर जी को कॉल किया तो उन्होने बताया कि 20-25 मिनट में आ रहा हूं तब मैं थाने के बाहर खड़ा हो गया उसी दौरान रघुवीर जी आये उन्होने मेरे साथ मेरे काम के संबंध में काफी देर तक बात की इसी दौरान महावीर जी भी आ गये तब मैं व

रघुवीर जी थाने के अंदर महावीर जी के पास चले गये वहां पर मेरे भाई की जमानत के कागजात दिये और महावीर जी ने मेरे भाई के लड़की भगाने के मैटर के बारे में बात की उसके बाद मेरे भाई को छोड़ दिया उसके बाद रघुवीर जी और मै साईड में आ गये जहां पर रघुवीर जी ने मेरे से महावीर जी को देने के लिए रिश्वत संबंधी बात कि तब मैने कहा मेरे पास दस हजार रूपये है और कितने देने है तब उन्होने कहा की बात एक लाख की हो रखी है नब्बे ओर है वो कल तक कर देना और मेरे से दस हजार रूपये नगद रघुवीर जी ने महावीर जी के लिए ले लिये फिर हम बाहर आ गये। फिर परिवादी सुनील कुमार व हेमराज नायक ने बताया कि अब वक्त रात्रि का है और हमे घर पर जरूरी काम है इसलिए हम आपके साथ नहीं आ सकते इस पर मैने निर्देशानुसार परिवादी सुनील व हेमराज को वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 29.12.2025 समय 10.45 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया फिर परिवादी ने अवगत करवाया कि दिनांक 27.12.2025 को मैं हेमराज व रामजस जी कार्यालय से रवाना होकर पुलिस स्टेशन सूरतगढ़ सिटी के पास पहुंचें थे रामजस जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॅार्डर चालू कर सुपुर्द कर पुलिस स्टेशन सूरतगढ़ सिटी की तरफ भेजा खुद व हेमराज बाहर ही रूक गये थे, मै जब पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में गया तो तब मैने महावीर जी को कॉल किया तो उन्होने बताया कि 20-25 मिनट में आ रहा हूं तब मैं थाने के बाहर खड़ा हो गया उसी दौरान रघुवीर जी आये उन्होने मेरे साथ मेरे काम के संबंध में काफी देर तक बात की इसी दौरान महावीर जी भी आ गये तब मैं व रघुवीर जी थाने के अंदर महावीर जी के पास चले गये वहां पर मेरे भाई की जमानत के कागजात दिये और महावीर जी ने मेरे भाई के लड़की भगाने के मैटर के बारे में बात की उसके बाद मेरे भाई को छोड़ दिया उसके बाद रघुवीर जी और मै साईड में आ गये जहां पर रघुवीर जी ने मेरे से महावीर जी को देने के लिए रिश्वत संबंधी बात कि तब मैने कहा मेरे पास दस हजार रूपये है और कितने देने है तब उन्होने कहा की बात एक लाख की हो रखी है नब्बे ओर है वो कल तक कर देना और मेरे से दस हजार रूपये नगद रघुवीर जी ने महावीर जी के लिए ले लिये फिर हम बाहर आ गये और रामजस जी से मिला जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया फिर मैने उन्हे यह बात बता दी थी। फिर मैने व हेमराज नायक ने बताया कि अब वक्त रात्रि का है और हमे घर पर जरूरी काम है इसलिए हम आपके साथ नहीं आ सकते इस पर वो मुझे वहीं छोडते हुए चले गये थे। मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित है जिसे अलमारी से निकालकर चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई परिवादी ने यह बताया कि मैने महावीर प्रसाद जी को ही फोन किया था रघुवीर से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, रघुवीर मुझे अपने आप ही मिले थे संभवतः महावीर प्रसाद ने उसे फोन करके बुलाया था, रघुवीर ने महावीर प्रसाद के सामने रिश्वत की मांग नहीं की, रघुवीर जी ने ही साईड़ में ले जाकर मेरे से वार्ता की है और दस हजार रूपये लिये थे। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 12.10 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 27.12.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी. आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 06.40 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 27.12.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 251227_1942 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 4 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. 109 से दो अलग-अलग 4 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क A -1, मार्क A -2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क A -1, A -2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-430c19bdba81ba908cc534c2eb7fe85557ede114 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-A-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क A -1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क A-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 27.12.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 251227_1942 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर Green Tech 8 Micro SD HC I अंकित है जिसे एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.10 पीएम उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री महावीर प्रसाद से रिश्वत मांग का आईन्दा गोपनीय सत्यापन करवाया जायेगा, इस पर परिवादी श्री सुनील कुमार को महावीर प्रसाद से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु कहा तो परिवादी सुनील कुमार ने कहा अभी दो-तीन मुझे काम है मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, इस पर परिवादी श्री सुनील कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 02.01.2026 समय 11.26 एएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी सुनील कुमार ने अवगत करवाया की मैं व्यस्त हू, एक-दो दिन में आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 07.01.2026 समय 02.27 पीएम पर श्री सुनील कुमार से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी सुनील कुमार ने अवगत करवाया की डयूटि

में व्यस्त हूं, मैं कल आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 08.01.2026 समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि मेरी दिनांक 31.12.2025 को रघुवीर नायक से जरिये मोबाईल वार्ता हुई थी तब उसने कहा की आपने मेरी बात नहीं रखी अब आप खुद ही महावीर जी से बात कर लो मुझे अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आज श्री महावीर जी हैडसाहब से जाकर मिलूगां। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार व रामजस कानि. को डजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर के लिए रवाना किया। समय 06.15 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार व रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बंद हालात में सुपुर्द किया। परिवादी सुनील कुमार ने अवगत करवाया कि मैं व रामजस जी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सूरतगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के पास पहुंचें, रामजस जी ने मुझको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर महावीर प्रसाद हैड़ कानि. से संपर्क करने हेतु पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी की तरफ रवाना किया मैं पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में गया तो तब थाने में मुझे महावीर जी नहीं मिले फिर मैं वापिस बाहर आ गया, श्री रामजस जी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, फिर कुछ देर बाद मैने उन्हे फोन करके पूछा तो उन्होने बीस मिनट बाद आने को कहा , फिर कुछ देर बाद रामजस जी ने मुझको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर महावीर प्रसाद हैड़ कानि. से संपर्क करने हेतु पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी की तरफ रवाना किया मैं पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में गया तो मुझे महावीर जी मिले जिन्होने कहा दर्शन बहुत धीरे धीरे देते हो, फिर प्रकरण व हमारे समझौते के संबंध में बात की फिर दौराने वार्ता कहा की और क्या करोगे बताओ जिस मैने कहा आदेश करो, तो महावीर जी ने कहा उस दिन किया तो था आदेश उस दिन बैचारे ने, मैने कहा आप बता दो तो महावीर जी ने कहा उसने नही बताया तब मैने कहा उसने तो बहुत कुछ बोला क्या बताये आपको, आप ही आदेश कर दो एक ही बात है फिर महावीर जी ने कहा अर तो मेने कह दिया वा ही बात है आपके सामने है आप ऐसे करो आप उनसे मिल लो वापस जाकर के मैने कहा रघुवीर जी तो उन्होने कहा हां फिर लास्ट में उन्होने कहा और आज ही कर करवा के फ्री कर देगें, फिर मैं थाने से बाहर आकर रामजस जी से मिला व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिन्होने बंद कर अपने पास रखा, फिर वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। परिवादी ने कहा की अब मुझे जरूरी काम है और घर जाना जरूरी है मैं आईन्दा रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयों की व्यवस्था करके आपके पास उपस्थित हो जाउंगा, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। आईन्दा परिवादी के उपस्थित होने पर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अलमारी में रखा गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 09.01.2026,20.01.2026,03.02.2026,12.02.2026,18.02.2026,24.02.2026, 04.03.2026, 10.03.2026 को परिवादी से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी का ट्रेनिंग पर होना, अपनी नानी व मासी व मां का रोड़ एक्सीडेंट होने व अन्य कारण के संबंध में अवगत करवाया। दिनांक 23.03.2026 को परिवादी से जरिये दूरभाष संपर्क किया तो परिवादी सुनील कुमार ने आगे कार्यवाही नहीं करवाने का अवगत करवाया। दिनांक 30.03.2026 समय 04.10 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री सुनील कुमार ने कार्यवाही ड्रोप करने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.25 को मैने रघुवीर नायक व महावीर प्रसाद हैडकानिस्टेबल के खिलाफ 1 लाख कि रिश्वत मांगने पर कार्यवाही के लिए एप्लीकेशन दी थी दिनांक 27.12.2025 को सत्यापन हो गया था जिसमें रघुवीर नायक ने 10 हजार रूपये महावीर प्रसाद के नाम के ले लिये और 90 हजार रूपये का और लाने को कहा गया। मेरे घर कि स्थिति ठीक नही होने के कारण पैसो की व्यवस्था हुई नही और कार्यालय नहीं आया गया। दिंनाक 08.01.2026 को दोबारा सत्यापन हुआ जिसमें महावीर प्रसाद जी ने कहा कि बहुत दिन बाद दर्शन दिए है आप वापिस रघुवीर नायक से मिलो और फिर मेरे परिवार में नानी जी और मासी जी का रोड़ दुर्घटना होने पर व आवासीय प्रशिक्षण होने पर और पारिवारिक स्थिति ठीक नही होने पर रूपयों की व्यवस्था हुई नही इसलिए मैं आगे कि कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं। थाने से हमारा काम पूरा हो गया है और रघुवीर नायक व महावीर प्रसाद के द्वारा मेरे से वापिस कोई संपर्क नहीं किया गया है अतः आपके द्वारा विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे व मेरे द्वारा की गई कार्यवाही को ड्रोप करना सुनिश्चित करें। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। समय 04.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 08.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 07.40 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 08.01.2026 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260108_1555 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री वरूण कुमार कानि. 97 से दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क B-1, मार्क B-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क B-1, B-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-

161847376845cfb1f405f9979bfa9ce71fc76caa है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-B-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क B-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क B-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 08.01.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 260108_1555 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर Green Tech 8 Micro SD HC I अंकित है जिसे एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.50 पीएम पर रूबरू गवाहन के गोपनीय सत्यापन कार्यवाही विरूद्ध श्री महावीर प्रसाद हैड़ कानि. पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी व अन्य में दिनांक 29.12.2025 व दिनांक 30.03.2026 में मालवजह सबूतों को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नं. 30 को उपयोग मे लिया गया था उस पीतल की सील के नमूने फर्द में अंकित किये जाकर फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कागजत की गई। समय 08.00 पीएम इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। परिवादी सुनील कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार आरोपी का सही नाम पता श्री महावीर सिह़ पुत्र श्री आशू सिह उम्र-53 वर्ष निवासी गांव गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल हैड़ कानि. 2368 पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर हैं। इस प्रकार परिवादी सुनील कुमार पुत्र श्री कालूराम जाति-नायक, उम्र-31 वर्ष निवासी 5 जीबी बी जैतसर, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का भाई नरेश कुमार सूरतगढ़ के त्रिमूर्ति रोड पर नाई की दुकान चलाता है और वार्ड नं. 04 सूरतगढ़ में मकान किराये पर लेकर रहता है। वार्ड नं. 04 सूतरगढ़ निवासी रजनी पुत्री बंटी लोहरा और परिवादी का भाई नरेश एक दूसरे के सम्पर्क में आये और दिनांक 12.12.2025 को किसी अज्ञात स्थान पर चले गये। इसके बाद रजनी पुत्री बंटी लोहरा के घरवालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में दर्ज करवायी जिसकी जांच हैड़ कान्सटेबल महावीर सिह़ के द्वारा की जा रही थी। दिनांक 14.12.2025 को महावीर सिह़ हैडकानिस्टेबल का फोन परिवादी के पास आया और कहा तेरे भाई को हमने थाने में पकड़ रखा है। नाबालिग लड़की का मामला है और जब शाम को परिवादी सुनील कुमार घर पर पहुंचा तो उसे छोड़ दिया तब भाई से सम्पर्क करने कि कोशिश की गई तो फोन नही मिला। कुछ समय बाद नरेश कुमार से परिवादी सुनील कुमार ने पूछताछ कि तो पता लगा कि महावीर सिह़ ने 40000/-रूपये लिये। रघुवीर नायक नाम के व्यक्ति ने दिनांक 26.12.2025 को परिवादी सुनील कुमार को फोन किया और दिनांक 27.12.2025 को सुबह 10 बजे सिटी थाना सूरतगढ़ में मिलने को कहा। दिनांक 27.12.2025 को जब परिवादी सुनील कुमार सिटी थाना सूरतगढ़ में गया तो वहां पर महावीर सिह़ व रघुवीर नायक ने मामला रफा दफा करने के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत की व्यवस्था करके लाने को कहा और कहा कि पोक्सो एक्ट नहीं लगने दूंगा और थाने से रिहा करवा दूंगा। परिवादी सुनील कुमार द्वारा आरोपी महावीर सिह़ हैड़ कानिस्टेबल व रघुवीर नायक के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.12.2025 को महावीर सिह़ हैड कानिस्टेबल व रघुवीर नायक का रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो परिवादी सुनील कुमार ने जब पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में गया तो तब उसने महावीर सिह़ हैड़ कानि. को कॉल किया तो उन्होने बताया कि 20-25 मिनट में आ रहा हूं तब वह थाने के बाहर खड़ा हो गया उसी दौरान रघुवीर आया उसने परिवादी सुनील कुमार से उसके काम के संबंध में काफी देर तक बात की इसी दौरान महावीर सिह़ हैड़ कानि. भी आ गये तब परिवादी सुनील कुमार व रघुवीर थाने के अंदर महावीर सिह़ हैड़कानि. के पास चले गये वहां पर परिवादी सुनील कुमार के भाई की जमानत के कागजात दिये और महावीर सिह़ ने परिवादी सुनील कुमार के भाई के लड़की भगाने के मैटर के बारे में बात की उसके बाद परिवादी के भाई को छोड़ दिया उसके बाद रघुवीर और परिवादी साईड में आ गये जहां पर रघुवीर ने परिवादी सुनील कुमार से महावीर सिह़ हैड़ कानि. को देने के लिए रिश्वत संबंधी बात कि तब परिवादी सुनील कुमार ने कहा मेरे पास दस हजार रूपये है और कितने देने है तब उन्होने कहा की बात एक लाख की हो रखी है नब्बे ओर है वो कल तक कर देना और परिवादी से दस हजार रूपये नगद रघुवीर ने महावीर सिह़ हैड़ कानि. के लिए ले लिये, दिनांक 08.01.2026 को आरोपी महावीर सिह़ हैड़ कानि. का पुनः सत्यापन हेतु परिवादी को भेजा गया तो दौराने सत्यापन आरोपी महावीर सिह़ परिवादी सुनील कुमार को मिला जिसने कहा दर्शन बहुत धीरे धीरे देते हो, फिर प्रकरण व परिवादी के कार्य के समझौते के संबंध में बात की फिर दौराने वार्ता कहा की और क्या करोगे बताओ जिस परिवादी सुनील कुमार ने कहा आदेश करो, तो आरोपी महावीर सिह़ हैड़ कानि. ने कहा उस दिन किया तो था आदेश उस दिन बैचारे ने, परिवादी सुनील कुमार ने कहा आप बता दो तो आरोपी महावीर सिह़ हैड़ कानि. ने कहा उसने नही बताया तब परिवादी सुनील कुमार ने कहा उसने तो बहुत कुछ बोला क्या बताये आपको, आप ही आदेश कर दो एक ही बात है फिर आरोपी महावीर सिह़ ने कहा अर तो मेने कह दिया वा ही बात है आपके सामने है आप ऐसे करो आप उनसे मिल लो वापस जाकर के परिवादी सुनील कुमार ने कहा रघुवीर तो आरोपी महावीर सिह़ ने कहा हां फिर लास्ट में उन्होने कहा और आज ही कर करवा के फ्री कर देगें आदि आपराधिक षड़यंत्र कर परिवादी सुनील कुमार से

रिश्वत मांगने के तथ्य रिकॉर्ड पाये गये, परिवादी के पारिवारिक सदस्यों के साथ रोड़ एक्सीडेंट होने व परिवादी के पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कार्यवाही बताया की परिवार में नानी जी और मासी जी का रोड़ दुर्घटना होने पर व आवासीय प्रशिक्षण होने पर और पारिवारिक स्थिति ठीक नही होने पर रूपयों की व्यवस्था हुई नही इसलिए मैं आगे कि कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूं। थाने से हमारा काम पूरा हो गया है और रघुवीर नायक व महावीर सिह़ के द्वारा मेरे से वापिस कोई संपर्क नहीं किया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री महावीर सिह़ हैड़ कानि. पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव आरोपी रघुवीर नायक के साथ मिलकर आपराधिक षड़यन्त्र कर परिवादी श्री सुनील कुमार से उसके भाई नरेश कुमार का मामला रफा दफा करने व पोक्सो एक्ट नहीं लगाने की एवज में रिश्वत की मांग करना व दौराने सत्यापन आरोपी रघुवीर नायक द्वारा आरोपी महावीर सिह़ के लिए परिवादी से 10000/-रूपये लेना पाया गया और 90000/-रूपये की मांग और करना पाया गया। अतः आरोपित श्री महावीर सिह़ पुत्र श्री आशू सिह उम्र-53 वर्ष निवासी गांव गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल हैड़ कानि. 2368 पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर व श्री रघुवीर नायक पुत्र श्री महीराम निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध वर्णित धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (सुधा पालावत),अति.पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1.श्री महावीर सिह़ पुत्र श्री आशू सिह उम्र-53 वर्ष निवासी गांव गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल हैड़ कानि. 2368 पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर जिला श्रीगंगानगर 2.श्री रघुवीर नायक पुत्र श्री महीराम निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 160 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1328-31 दिनांक 10.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRASINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/08/2026 15:30:34

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)